

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बालेसर

चैनाराम पुत्र मगनाराम वगैरा

बनाम

बाबुराम पुत्र टीकूराम वगैराह

किस्म मुकदमा धारा 53,188 राज. काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 25/19

सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
26.04.2019	वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 29.05.2019 को पेश हो।	
29/5/19	<p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी बालेसर</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वकील 340। प्रतिवादी 2 की तरफ से विवेकी सिद्ध गयी सत्रा वकारनामा पेश। शेष के लकी इन्जुनर के पत्रावली दिनांक 4/7/19 को पेश हो।</p>	
4/7/19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वकील 340। आजादी पेश पर शेष प्रतिवादी 2 के रजि. नं. की रसद पेश की। पत्रावली दिनांक 4/9/19 को पेश हो।	
4/9/19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वकील 340। रसद वकील वकील सत्रा पेश शामिल किया हो। प्रतिवादी 1, 3 सत्र की तरफ से वकारनामा पेश गयी सिद्ध गयी अधिवक्ता सत्रा पेश पत्रावली वरते जकार पत्रा दिनांक 24/10/19 को पेश हो।	
24/10/19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वकील 340। पत्रावली वरते जकार पत्रा दिनांक 11/12/19 को पेश हो।	
11/12/19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वकील 340। पत्रावली वरते जकार पत्रा दिनांक 8/1/20 को पेश हो।	



फर्द अहकाम

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुई
4/3/25	<p>पत्रावली प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 2025 में पेश हुई। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र विद्धो का पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि प्रार्थी/वादी उक्त वाद/प्रार्थना पत्र को चूलाना नहीं चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र विद्धो स्वीकार करते हुए मूल वाद/प्रार्थना पत्र जरिये विद्धो निस्तारित किया जावें। प्रार्थना पत्र विद्धो का अवलोकन किया गया। अतः लोक अदालत की भावना के तहत प्रार्थना पत्र विद्धो स्वीकार किया जाता है। पत्रावली जरिये विद्धो निस्तारित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
8/3/25	<p><i>[Signature]</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी, बालेसर</p>	